



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276973
CG-DL-E-09102026-276973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 310]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सेतु मामला आईडी- AD/OI/061/2026

विषय: चीन जन. गण. और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

1. फा. सं. 6/60/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ‘नियमावली’ कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और

जापान (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 16 टन तक की क्षमता वाले, चालक द्वारा सवार होकर संचालित, डीजल अथवा विद्युत चालित, क्लास I, IV और V के कतिपय काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट हैं, जो सभी रूपों में आयातित होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूर्णतः निर्मित इकाइयां (“सीबीयू”), अर्ध-असंयोजित किट (“एसकेडी”) और पूर्णतः असंयोजित किट (“सीकेडी”) शामिल हैं। तथापि, काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट के स्वतंत्र पुर्जे और संघटक उत्पाद के दायरे से बाहर रखे गए हैं। काउंटरबैलेंस स्टैकर, जो प्रचालक सीट रहित तथा पैदल अथवा खड़े होकर संचालित किए जाने वाले उपस्कर हैं, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं।
4. काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट प्रचालक द्वारा सवार होकर चलाया जाने वाला उत्तोलन वाहन है, जिसे औद्योगिक, भंडारण, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स परिसरों के भीतर कम दूरी तक पैलेटयुक्त अथवा पैलेट-रहित भार को उठाने, ले जाने और चट्टे में लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
5. काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट की निर्णायक तकनीकी विशेषता वाहन के पिछले भाग में एकीकृत प्रतिभार (काउंटरवेट) की उपस्थिति है। यह प्रतिभार अग्र भाग में उठाए गए भार के वज़न को संतुलित करता है, जिससे फोर्कलिफ्ट आउटरिगर अथवा बाहरी सहारा टांगों के उपयोग के बिना कार्य कर पाता है। प्रतिसंतुलन तंत्र फोर्कलिफ्ट को भार उठाने, नीचे उतारने और क्षैतिज संचलन के दौरान संतुलन बनाए रखते हुए भार उठाने में सक्षम बनाता है।
6. फोर्कलिफ्ट में वाहन के अग्र भाग पर लगा एक हाइड्रॉलिक भार-संचालन तंत्र होता है, जिसमें सामान्यतः माल उठाने के लिए प्रयुक्त कैरिज और फोर्क शामिल होते हैं। वाहन को भार को ऊर्ध्वाधर रूप से उठाने तथा संतुलन और प्रचालनात्मक स्थिरता बनाए रखते हुए उसका परिवहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट का प्राथमिक कार्य अतिरिक्त स्थिरीकरण उपस्कर की आवश्यकता के बिना माल का संचलन करना और उसे चट्टे में लगाना है।
7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई संख्या अथवा नग मानी गई है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 8427 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। विचाराधीन उत्पाद का आयात 84271000, 84272000 और 84279000 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

9. आवेदक ने वर्तमान जांच में उचित तुलना के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) प्रस्तावित की हैं:

ईंधन का प्रकार और पीसीएन कोड	उप-मानदंड	उप-मानदंड का प्रकार	उप-मानदंड पीसीएन कोड
विद्युत (EL)	खंड	3 पहिया (गैर-आर्टिकुलेटेड)	1
		4 पहिया (गैर-आर्टिकुलेटेड)	2
		आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट	3
	बैटरी का प्रकार	लेड एसिड बैटरी	LB
		ली-आयन बैटरी सहित अन्य उन्नत रसायन बैटरियां	OB
	टन भार	2 टन तक	A
		2 टन से अधिक और 3.5 टन तक	B
		3.5 टन से अधिक और 5 टन तक	C
		5 टन से अधिक और 16 टन तक	D
डीजल (DL)	टन भार	3 टन तक	E
		3 टन से अधिक और 5 टन तक	F
		5 टन से अधिक और 7 टन तक	G
		7 टन से अधिक और 10 टन तक	H
		10 टन से अधिक और	I

		12 टन तक	
		12 टन से अधिक और 16 टन तक	J

10. हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, यदि कोई हों, इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के संप्रेषण के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

समान वस्तु

11. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक विशेषताओं, कार्य एवं उपयोग, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों का परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया है और कर रहे हैं। अतः, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों में उत्पादित और वहां से आयातित विचाराधीन उत्पाद की "समान वस्तु" माना जा रहा है।

संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. और जापान हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

13. आवेदक ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 माह की अवधि) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तथा प्रस्तावित जांच अवधि के रूप में प्रस्तावित की गई है।

घरेलू उद्योग और आधार

14. वर्तमान आवेदन गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने बताया है कि जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के कुल पात्र भारतीय उत्पादन में उसका हिस्सा लगभग 60-70% है तथा कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक कियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड और जोस्ट्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड हैं। आवेदक ने कियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस आधार पर नियम 2(ख) के अंतर्गत अपात्र माना है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और वह

संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों अथवा निर्यातकों से संबंधित है, तथा कुल पात्र भारतीय उत्पादन का निर्धारण करते समय उसके उत्पादन को अलग रखा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(ख) के अंतर्गत अन्य उत्पादकों को पात्र मानने के पश्चात् भी आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक है।

15. आवेदक ने बताया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की अल्प मात्रा का आयात किया है, जो उसके उत्पादन और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का नगण्य हिस्सा है, तथा इन आयातों का एक महत्वपूर्ण भाग परीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ उसके किराया बेड़े (रेंटल फ्लीट) में शामिल किया गया था। आवेदक ने बताया है कि वह संबद्ध देशों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है।
16. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने आवेदक को संबद्ध वस्तुओं का पात्र घरेलू उत्पादक माना है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन नियम 2(ख) के संदर्भ में कुल भारतीय उत्पादन का “प्रमुख अनुपात” है और यह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में भी आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है।

कथित पाटन का आधार

a) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने चीन के अधिमिलन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख करते हुए उस पर विश्वास किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निदेश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
18. आवेदक ने बताया है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत से संबंधित सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः, आवेदक ने कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य निकालने के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, अर्थात् कच्चे माल की लागत और परिवर्तन लागत, में उचित लाभ मार्जिन जोड़कर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।
19. वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही की है और चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में संदत्त अथवा संदेय कीमत के आधार पर किया है। सामान्य मूल्य का परिकलन आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों हेतु विधिवत समायोजन करते हुए, उचित लाभ सहित किया गया है।

b) जापान के लिए सामान्य मूल्य

20. आवेदक ने दावा किया है कि उसने जापान में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतों अथवा उत्पादन लागत की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उक्त सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण वह इसमें सफल नहीं हो सका। अतः, आवेदक ने उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन हेतु समायोजन करते हुए, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए, आवेदक ने कारखाना-द्वारा सामान्य मूल्य निकालने हेतु घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत और परिवर्तन लागत में उचित लाभ मार्जिन जोड़ा है।
21. तदनुसार, वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ, रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के रूप में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों हेतु विधिवत समायोजन करते हुए तथा उचित लाभ मार्जिन सहित, जापान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

c) निर्यात कीमत

22. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों में दर्शाई गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करते हुए किया गया है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार, कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, लदान और उतराई प्रभार तथा बैंक प्रभार के मद्दे समायोजन किए गए हैं।

d) पाटन मार्जिन

23. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वारा स्तर पर की गई है, जिससे प्रथमदृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और पर्याप्त है। अतः, इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

24. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा मांग के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत कटौती हो रही है। आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध आयातों के कारण उसकी कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप उसकी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद उसका

बाजार हिस्सा स्थिर रहा है, उसके क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, तथा उसे संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ की स्थिति का सामना करना पड़ा है, जो जांच की अवधि में और अधिक गंभीर हो गई है।

25. अतः, प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाए जाने तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

26. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर विधिवत रूप से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात्, तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाई जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हो, पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

प्रक्रिया

27. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

28. इस जांच से संबंधित समस्त सूचना, प्रश्नावलियां और अनुरोध इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दायर किए जाने चाहिए। प्राधिकारी ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं भी कर सकते हैं।
29. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर स्वयं को पंजीकृत कराना अपेक्षित है। हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण में किसी कठिनाई की स्थिति में, <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk> पर उपलब्ध विवरण के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और तत्संबंधी सेतु आईडी AD/OI/061/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से ही दायर किए जाने चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अनुरोधों का वर्णनात्मक भाग खोज-योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में दायर किया जाए, जबकि आंकड़ा फाइलें समुचित रूप से लिंक किए गए परिकलनों सहित एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

30. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र और रीति में दायर की जानी चाहिए।
31. जांच में हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर/अनुरोध दायर करें।
32. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और रीति में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए उसका अगोपनीय पाठ साथ-साथ दायर करना अपेक्षित है। अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए।
33. हितबद्ध पक्षकारों को आगे निदेश दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in>) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) का नियमित रूप से अवलोकन करें। हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे की गतिविधियों से अवगत रहने के लिए तथा प्रश्नावली प्रपत्रों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की समय-सारणी, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं, अंतिम जांच परिणाम और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं की जानकारी रखने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

समय-सीमा

34. गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी) को सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट खंडों में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तारीख को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा अथवा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देशों के समुचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
35. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के इच्छुक किसी भी पक्षकार को सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा और इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही अपने प्रश्नावली उत्तर और अनुरोध अनिवार्य रूप से दायर करने होंगे।

36. विचाराधीन उत्पाद के दायरे/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिनों की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
37. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी पश्चवर्ती सूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद में संशोधन करते हैं, और ऐसा पीसीएन निर्धारित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के निर्धारण की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरुआत के पश्चात् विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से आगे समय के और विस्तार हेतु अनुरोधों पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
38. समय-विस्तार हेतु कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल अंतिम तारीख से कम से कम 3 दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात् प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

39. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां उसके लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) के संदर्भ में तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
40. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
41. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ अनिवार्य रूप से गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध किया गया हो अथवा रिक्त छोड़ा गया हो (जहां सूचीकरण संभव न हो), और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके अनुसार ऐसी सूचना का समुचित और पर्याप्त रूप से सारांश दिया जाना चाहिए।
42. गोपनीय पाठ में वह समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वरूपतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा उसका प्रदाता करता है। जिस सूचना के स्वरूपतः गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उसके लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ इस बारे में उचित कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

43. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध न्यायोचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
44. अगोपनीय सारांश पर्याप्त ब्यौरे सहित होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार की उचित समझ बन सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है, और ऐसी स्थिति में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में, सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, इसका पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
45. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
46. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा पर्याप्त और समुचित कारण संबंधी विवरण के बिना किए गए किसी भी अनुरोध के संबंध में, गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

47. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

असहयोग

48. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा नियत समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा उसे प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

SETU Case ID- AD/OI/061/2026

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Counterbalance Forklifts” originating in or exported from China PR and Japan

1. **F. No. 6/60/2026-DGTR.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) seeking initiation of anti-dumping investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of Certain Counterbalance Forklifts (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of provisional and definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is Certain Counterbalance Forklift upto 16 tonnes, rider operated, powered by diesel or electric, of Class I, IV and V, imported in all forms, including *inter alia* as Completely Built Units (“CBU”), Semi Knocked Down kits (“SKD”) and Completely Knocked Down kits (“CKD”). However, standalone parts and components of Counterbalance Forklift are excluded from the product scope. Counterbalanced stackers, being pedestrian-operated or stand-on equipment without an operator seat, are not covered within the scope of the product under consideration.
4. Counterbalance Forklift is an operator-riding lifting vehicle designed to lift, carry, and stack loads, palletized or non-palletized, over short distances within industrial, warehousing, manufacturing, and logistics premises.
5. The defining technical feature of a Counterbalance Forklift is the presence of a counterweight integrated into the rear portion of the vehicle. This counterweight offsets the weight of the load lifted at the front, thereby enabling the forklift to operate without the use of outriggers or external support legs. The counterbalancing mechanism allows the forklift to lift loads while maintaining equilibrium during lifting, lowering, and horizontal movement.
6. The forklift consists of a hydraulic load-handling mechanism mounted at the front of the vehicle, which typically includes carriage and forks used to pick up goods. The vehicle is designed to lift loads vertically and transport them while maintaining balance and operational stability. The primary function of a counterbalance forklift is the movement and stacking of goods without the requirement of additional stabilizing equipment.

7. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is numbers or pieces.
8. The PUC is classifiable under tariff heading 8427 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is being imported under 84271000, 84272000 and 84279000. The customs classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.
9. The applicant has proposed the following Product Control Numbers (PCNs) in the present investigation for fair comparison:

Fuel Type and PCN Code	Sub-Parameter	Sub-Parameter Type	Sub-Parameter PCN Code
Electric (EL)	Segment	3 Wheel (Non-Articulated)	1
		4 Wheel (Non-Articulated)	2
		Articulated Forklift	3
	Type of Battery	Lead Acid Battery	LB
		Other advanced chemistry batteries including Li-ion Battery	OB
	Tonnage	Upto 2 Tonne	A
		More than 2 up to 3.5 Tonne	B
		More than 3.5 up to 5 Tonne	C
		More than 5 up to 16 Tonne	D
	Diesel (DL)	Tonnage	Upto 3 Tonne
More than 3 up to 5 Tonne			F
More than 5 up to 7 Tonne			G
More than 7 up to 10 Tonne			H
More than 10 up to 12 Tonne			I

		More than 12 up to 16 Tonne	J
--	--	--------------------------------	---

10. The interested parties are directed to furnish their comments/suggestions on the scope of the product under consideration and PCN methodology, if any, within 15 days of transmission of the receipt of the intimation of the initiation of this investigation.

LIKE ARTICLE

11. The applicant has stated that there is no known difference in the article produced by the applicant and imported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. Thus, for the purpose of initiation of the present investigation, the goods produced by the applicant are being treated as “like article” to the product under consideration produced in and imported from the subject countries.

SUBJECT COUNTRIES

12. The subject countries in the present investigation are China PR and Japan.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

13. The applicant has proposed 1st April 2025 to 31st March 2026 (period of 12 months) as the period of investigation. The injury investigation period has been proposed as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the proposed period of investigation.

DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. The present application has been filed by Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. The applicant has stated that its share in the total eligible Indian production of the PUC is approximately 60-70% in the POI and more than 25% of the total Indian production, thereby demonstrating that the applicant constitutes the domestic industry in accordance with Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules, 1995. The applicant has submitted that the other producers of the subject goods in India are KION India Private Limited, Action Construction Equipment Limited and Josts Engineering Company Limited. The applicant has treated KION India Private Limited as ineligible under Rule 2(b), on the ground that it has imported the subject goods from the subject countries during the POI and is related to producers or exporters of the subject goods in the subject countries, and has excluded its production in determining the total eligible Indian production. The authority notes that even after considering the other producers eligible under Rule 2(b), the applicant share is more than 25% of the total Indian production.
15. The applicant has stated that it has imported small quantities of the subject goods from China PR during the POI, constituting insignificant share of its production and of the total imports of the PUC into India, and that a significant part of these imports was inducted into its rental fleet for testing and evaluation purposes. The applicant has stated that it is not related to any exporter or producer from the subject countries or any importer in India.
16. In view of the information on record, the Authority has considered the applicant as eligible domestic producer of the subject goods. The Authority notes that the production by the applicant constitutes “a

major proportion” of total Indian production in terms of Rule 2(b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules, 1995.

BASIS OF ALLEGED DUMPING

a) Normal Value for China PR

17. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
18. The applicant has stated that information on the domestic selling prices or the cost of production of the product under consideration in a market economy third country is not available in the public domain. The applicant has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of the cost of production of the domestic industry, being the cost of raw materials and the conversion cost, with addition of a reasonable profit margin to arrive at the ex-factory normal value.
19. For the purpose of the present initiation, the Authority has proceeded in terms of Para 7 of Annexure-I to the Rules and has determined the normal value for China PR on the basis of the price actually paid or payable in India. The normal value has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

b) Normal Value for Japan

20. The applicant has claimed that it attempted to fetch the information of domestic selling prices or the cost of production of the product under consideration in Japan, however, could not succeed as the said information is not available in the public domain. Therefore, the applicant has constructed the normal value for Japan on the basis of the cost of production of the domestic industry, being the best information available to it, adjusted for reasonable profit margin. To construct the normal value, the applicant has taken the cost of raw materials and the conversion cost of the domestic industry with addition of a reasonable profit margin to arrive at the ex-factory normal value.
21. Accordingly, for the purpose of the present initiation, in the absence of reliable information on record, the Authority has constructed the normal value for Japan on the basis of the cost of production of the domestic industry, being the best information available, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

c) EXPORT PRICE

22. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in the import data obtained from DG Systems. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, loading and unloading charges and bank charges to arrive at the ex-factory export price as claimed by applicant.

d) DUMPING MARGIN

23. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the

product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

24. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of subject imports from the subject countries has increased in absolute terms as well as in relation to demand over the injury period. The landed price of the subject imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in price undercutting. The applicant has claimed that the subject imports have suppressed and depressed its prices, and the information on record shows that the increase in the cost of sales of the domestic industry over the injury period has not been matched by a corresponding increase in its selling price. The applicant has further claimed that its market share has remained stagnant despite growth in demand, that its capacity utilisation has declined, and that it has suffered losses, cash losses and negative return on capital employed throughout the injury period, which have intensified in the period of investigation.
25. Thus, the Authority finds that there is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries and existence of causal link between the alleged dumping and injury.

INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

26. On the basis of the duly substantiated written application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, consequential injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules, 1995, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PROCEDURE

27. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules, 1995 shall be followed in this investigation.

SUBMISSION OF INFORMATION

28. All information, questionnaires, and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent via email or any other method.
29. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR's SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at <https://setu.dgtr.gov.in/help-desk>. All communications and submissions from the interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding SETU ID AD/OI/061/2026. Interested parties are required to ensure that the narrative part of the submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while the data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.
30. The known producers/ exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the

subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Anti-Dumping Rules, 1995, and the applicable trade notices issued by the Authority.

31. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.
32. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.
33. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in>) and SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final finding and other such information.

TIME LIMIT

34. The confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of SETU portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules, 1995.
35. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file their questionnaire responses and submissions strictly within the time limits mentioned above in this Initiation Notification.
36. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC / PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this Initiation Notification.
37. Extension due to modification of PUC / PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and prescription of PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond 15 days extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules, 1995.
38. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least 3 days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

39. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Anti-Dumping Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
40. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
41. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
42. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and / or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by the nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
43. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
44. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
45. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of circulation of the receipt of the intimation of the initiation of this investigation.
46. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Anti-Dumping Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

47. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

NON-COOPERATION

48. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority